छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 142/66/2021/स्था./चार　　　　नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/02/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषय :— वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा/छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की पदस्थापना के संबंध में।

——0——

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा/छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, मण्डलों आदि में की जाती है। वित्त विभाग के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये है, जिनमें विभागों/कार्यालयों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा/छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को बिना कोई कारण बतलाये, वित्त विभाग की सहमति के बिना एकतरफा कार्यमुक्त, अतिरिक्त प्रभार अथवा विभाग के अन्य कार्यालयों में पदस्थापना कर दिया जाता है। एकतरफा कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप ऐसे अधिकारी अपनी अस्थाई ज्वाईनिंग कार्यालय संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन में देते हैं। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन में रिक्त पदों के अभाव में अधिकारियों के वेतन भत्ते आहरण में कठिनाई पैदा होती है, तथा संवर्ग प्रबंधन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. अतः उल्लेखित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगम मंडल तथा अन्य कार्यालयों में संवर्गीय/असंवर्गीय पदों पर पदस्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों को वित्त विभाग की सहमति/आदेश के बिना एकतरफा भारमुक्त, अतिरिक्त प्रभार एवं विभाग के अन्य कार्यालयों में पदस्थापना न किया जाये। यदि कोई कार्यालय उनके यहाँ पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों के कार्यों से असंतुष्ट है, तो उस अधिकारी के कार्यों की टीप तैयार कर विभागाध्यक्ष अपने प्रशासकीय विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव के माध्यम से सचिव (वित्त) को अवगत करा सकते हैं।

16/2/21

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग